



मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

कार्यालय : मुख्य अभियंता (उत्पादन)

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, दोंगालिया, जिला खण्डवा

(ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018 प्रमाणित विद्युत गृह)

Email:- cegen.sstpp@gmail.com



क्र.- 515-0100 / श्रीसिंगाजी/प्रशिक्षण/4414 दोंगालिया, दिनांक 13/12/23

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत आई.टी.आई. अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन का विस्तृत विज्ञापन

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, दोंगालिया खण्डवा द्वारा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अम्यर्थिओं के लिए जिन्होंने आई.टी.आई. (एन.सी.वी.टी. / एस.सी.वी.टी.) उत्तीर्ण की हो, को अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अन्तर्गत फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर में ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि. दोंगालिया में ट्रेड अप्रेंटिस (एक वर्षीय) हेतु कुल रिकितयाँ 44 हैं, जिनका ट्रेडवार विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.	शाखा	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	कुल योग
01	फिटर	5	3	3	4	1	16
02	इलेक्ट्रीशियन	7	3	5	7	2	24
03	वेल्डर	1	1	1	0	1	04
कुल		13	7	9	11	4	44

नोटः—

- उक्त रिकितयाँ केवल म.प्र. के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिये आवेदन पत्र को निर्धारित प्रपत्र में भरकर कार्यालय में जमा करें या डाक द्वारा दिये गये पते पर भेजें एवं ऑनलाइन प्रक्रिया के लिये संलग्न प्रपत्र—I के अनुसार अप्लाई करें। आवेदक द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.01.2024 है।
- विभिन्न वर्गों का आरक्षण, म.प्र. शासन के नियमानुसार किया जावेगा।

प्रशिक्षण के लिये लागू नियम व शर्तेः—

01. शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता—शासन के नियमानुसार संबंधित विषय में—

- आई.टी.आई. अप्रेंटिस — शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से (एन.सी.वी.टी. / एस.सी.वी.टी.) आई.टी.आई. उत्तीर्ण।

02. पात्रता :-

- उम्मीदवार किसी भी स्थापना संस्था में इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप हेतु पंजीकृत न हुआ हो तथा किसी भी संस्थान में एक वर्ष या अधिक समय तक कार्य न किया हो।
- प्रशिक्षुओं का चयन उनके शाखा/व्यवसाय में कुल प्राप्तांकों (सी.जी.पी.ए.) की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।

3. प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.पा.ज.कं.लि. द्वारा नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं होगी।
 4. आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
 5. प्रशिक्षुओं को आवास /भोजन/यातायात की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
 6. आवेदक को भारत सरकार के अप्रेटिस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आवश्यक दिशानिर्देश हेतु आवेदक समय समय पर अपना ई-मेल आई.डी. तथा कंपनी की वेबसाइट <http://mppgcl.mp.gov.in> भी देखते रहे।
 7. वरीयता प्राप्त आवेदकों को आमंत्रण (ऑफर लेटर) अप्रेटिसशिप पोर्टल <https://apprenticeshipindia.org> पर उनके अप्रेटिस प्रोफाइल पर भेजा जावेगा, एवं किसी भी तरह का पत्राचार उनके ई-मेल आई.डी. पर ही किया जावेगा। अतः आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपना प्रोफाइल लगातार देखते रहे तथा अपना ई-मेल आई.डी. आवेदन करने से पहले बना ले जो कम से कम एक साल के लिये वैध हो।
 8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थिओं के लिए आरक्षण अप्रेटिसशिप एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।
 9. किसी भी प्रशिक्षु के चयन/निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि. दोंगालिया अपने पास सुरक्षित रखेगा।
 10. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक होगा। खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन एवं हरदा जिले के रहवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
 11. चयनित अप्रेटिस प्रशिक्षु को सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटना संबंधी बीमा कराना आवश्यक होगा, तथा बीमा पॉलिसी की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। (जो कि प्रशिक्षु अवधि तक मान्य है)
 12. चयनित अप्रेटिस प्रशिक्षुओं को शासन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी, विकिसा प्रमाण-पत्र, आधार की फोटो कापी एवं चरित्र संबंधी स्वप्रमाणित घोषणापत्र इत्यादि अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
 13. आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट <http://mppgcl.mp.gov.in/careers.html> पर उपलब्ध है।
- 14. आरक्षण एवं आयु में छूट:-**
- i. चयन प्रक्रिया में अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. तथा दिव्यांग आरक्षण नियम (संशोधित) 2015 एवं राज्य शासन के नियमानुसार रहेगा। यदि अनु.जाति/अ.ज.जा./संवर्ग में निर्धारित संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उक्त संवर्ग की रिक्तियों को आपस में भरा जायेगा। तदोपरांत रिक्त रहने पर अन्य संवर्गों से भरा जा सकेगा।
 - ii. शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि 01 वर्ष रहेगी।
 - iii. रिक्तियों की संख्या अंतिम है तथा समीक्षा के दौरान यह संख्या परिवर्तित हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न वर्गों/श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या भी पुनरीक्षित हो सकती है।

- iv. सभी वर्गों में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की संगणना तिथि 31.01.2024 के आधार पर की जावेगी।
- v. सामान्य वर्गों के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनुजाति/अ.ज.जा./अ.प. वर्ग (नॉन-कीमीलेयर) के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष एवं दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट रहेगी।

15. चयन प्रक्रिया:-

- अर्हता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन एवं ऑफलाईन छटाई की जावेगी। तत्पश्चात् म.प्र.पा.ज.क.लि., श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, दोंगालिया द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों में आई.टी.आई. अप्रेंटिसेशिप हेतु आई.टी.आई. में प्राप्त सीजीपीए (सेमेस्टर के औसत) अंको के प्रतिशत के आधार पर अप्रेंटिस हेतु योग्यता कम (मेरिट आधार) में चयन किया जावेगा। समान अंक होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी। आवश्यकता होने पर वेटिंग लिस्ट से चयन किया जावेगा।
- उम्मीदवार केवल एक ही ट्रेड में आवेदन भर सकता है।
- निर्धारित समयावधि में ज्वाइन न करने पर चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

16. स्टाइपेण्ड (प्रशिक्षुवृत्ति) :-

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार स्टाइपेण्ड देय होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है:-

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	स्टाइपेण्ड (रु. में)
01	आई.टी.आई. (NCVT/SCVT) (एक वर्षीय कोर्स)	7700/- प्रतिमाह
02	आई.टी.आई. (NCVT/SCVT) (दो वर्षीय कोर्स)	8050/- प्रतिमाह

नोट:- इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते/लाभ की पात्रता नहीं होगी।

17. चिकित्सा/स्वास्थ्य मानक:-

- किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो कि जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, के आधार पर ही किया जावेगा।
- दिव्यांग उम्मीदवार को उचित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अक्षमता होने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। जोखिम पूर्ण ट्रेड को छोड़कर अन्य ट्रेड में दिव्यांगों हेतु आरक्षण राज्य शासन के नियमानुसार दिया जावेगा।

18. आवेदन कैसे करें।

- उम्मीदवार को वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर पंजीकरण अनिवार्य है, यदि उम्मीदवार ने पंजीकरण नहीं कराया है तो संलग्नक-(I) में दी प्रक्रिया अनुसार पंजीकरण कर सकते हैं।

- ii. उम्मीदवार पंजीकरण के उपरांत अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर “Establishment Search” में जाकर कंपनी में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार आवेदन करें। ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया संलग्नक-(II) में है।
- iii. ऑनलाईन आवेदन करने हेतु दिनांक 31.01.2024 की मध्य रात्रि तक आवेदन भरा जावेगा। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं किए जावेंगे।
- iv. आवेदक द्वारा ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा।

19. महत्वपूर्ण निर्देश एवं शर्तें:-

- i. उम्मीदवार कृपया यह सुनिश्चित कर ले कि, शिक्षुता प्रशिक्षण के लिये आवश्यक योग्यता रखते हैं तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ सही हैं।
- ii. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि, उम्मीदवार निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करते हैं और हमारी आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते हैं अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है, तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।
- iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग उम्मीदवार कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरें, चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जावेगी।
- iv. यदि उम्मीदवार अपने ऑनलाईन आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो “Edit my profile” में जाकर परिवर्तन कर सकते हैं।
- v. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निपटारा शिक्षुता अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के आधार पर किया जावेगा।
- vi. उम्मीदवार चयन हेतु म.प्र.पा.ज.क.लि., श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, दोंगालिया द्वारा बनाए गए एवं भविष्य में बनाए जाने वाले सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- vii. आवेदनकर्ता को कोरोना से बचाव के दोनों टीके लगे होने का प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।
- viii. शिक्षुता अवधि में उम्मीदवारों को 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश, 10 दिवस का मेडिकल अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी।
- ix. दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियम 1923 लागू होगा।
- x. म.प्र.पा.ज.क.लि., श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, दोंगालिया को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढ़ाने का अधिकार होगा।
- xi. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नहीं की जावेगी।
- xii. उम्मीदवार ध्यान रखें कि, शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 22 (1) के अनुसार यह विज्ञापन शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए है, नौकरी या रोजगार के लिए नहीं। प्रशिक्षण के उपरांत म.प्र.पा.ज.क.लि., श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, दोंगालिया किसी भी उम्मीदवार को रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जावेगा।

xiii. शिक्षुता अधिनियम 1961 की कंडिका 2 (1) एवं (2) के अनुसार शिक्षुओं को प्रशिक्षणपूर्ण करने के उपरांत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र प्रदान किया जावेगा।

SK दवानी
(एस.के. दवानी)
अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण)
श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना,
म.प्र.पा.ज.क.लि., दोंगालिया

शाखा (ट्रेड) के प्रशिक्षण के लिए आवेदन पत्र

आवेदन पत्र का ग्राहक

प्रति,

अधीक्षण अभियंता (मुख्यालय एवं प्रशिक्षण)

श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, दोंगालिया

1. वर्ग—
2. आवेदक का पूरा नाम
.....
3. पिता/पति का नाम
.....
4. लिंग (महिला/पुरुष)
.....
5. जन्म तिथि
.....
6. पत्र व्यवहार का पता
.....

7. मोबाइल नम्बर
.....
8. क्या अनुजाति/अनुजनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग में
आते हैं यदि हाँ तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
9. क्या पूर्व में अप्रेटिस एक्ट के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया
है यदि हाँ तो उसका विवरण
.....
10. शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता:—

परीक्षा/शाखा	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम	सत्र	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

संलग्न सहपत्र (सत्यापित प्रतिलिपियाँ)

1. मूल निवास प्रमाण पत्र
2. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाण पत्र (अजा/अजजा/अपिव)/चिकलांगता प्रमाण पत्र
4. आईटीआई प्रमाण पत्र
5. जन्म प्रमाण पत्र/10वीं कक्षा की अंकसूची
6. परिचय पत्र (पेन कार्ड/आधार कार्ड)
7. बैंक पासबुक
8. दुर्घटना बीमा

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं आत्मज प्रमाणित

करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी पूर्णरूप से सत्य है। असत्य/अपूर्ण जानकारी पाये जाने पर म.प्र.पॉ.ज.कं.लि. द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाही हेतु मैं जिम्मेदार रहूँगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

अप्रेंटिस पोर्टल पर पंजीयन कैसे करें:-

अप्रेंटिस (शिक्षा) पंजीकरण:-

01. सर्वप्रथम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर Apprentices मीनू पर Click करें।
02. अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन पर Click करें, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिये रजिस्ट्रेशन फार्म खुल जायेगा।
03. Candidate Type के Drop Down List पर Click करें व उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
04. जन्मतिथि डालने के लिये कैलेन्डर की सहायता से वर्ष, माह एवं दिनांक पर Click करें।
05. आई.टी.आई उत्तीर्ण छात्र अपना NCVT/SCVT प्रमाण—पत्र नम्बर डाले व ट्रेड का चयन करें।
06. अब अपना नाम, पिता व माता का नाम, जेन्डर एवं आधार कार्ड नम्बर डालें (आपकी जानकारी आधार कार्ड की जानकारी से मेल खानी चाहिए) कैटेगिरी में अपनी जाति का चयन करें।
07. कॉन्ट्रेक्ट डिटेल के सेक्शन में अपना पता, मोबाइल नम्बर एवं ई मेल आई.डी. अंकित करें।
08. क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में अपनी उच्चतम योग्यता पर Click करें व प्रमाण पत्र संलग्न करें।
09. टेक्नीकल क्वालिफिकेशन सेक्शन में अपनी संस्था का नाम, ट्रेड एवं कोर्स प्रारम्भ एवं समाप्ति दिनांक का चयन करें तथा ऐड बटन पर Click करें।
10. प्राथमिकता अनुसार ट्रेड का चयन करें एवं सिलेक्ट फस्ट प्रिफरेंस पर Click करें।
11. अपना पासपोर्ट साइज फोटो एवं जन्मतिथि प्रमाण—पत्र में दिये गये नम्बर को टाइप करें, डिक्लेरेशन चैक बॉक्स पर विलक करके सबमिट बटन पर विलक करें।
12. प्रिव्यू में आपकी जानकारी को चैक करें यदि जानकारी सही है ओके बटन पर विलक करें।
13. नई विन्डो में आपके फार्म की सबमिट होने की जानकारी प्राप्त होगी व आपके ई—मेल पर एक्टिवेशन लिंक पर Click करें जिससे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त होगा जिसका प्रिन्ट आउट निकाले।
14. अपना ई—मेल एकाउन्ट ओपन करे व डीजीटी से प्राप्त एक्टीवेशन लिंक पर Click करें जिससे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त होगा जिसका प्रिन्ट आउट निकाले।

आवेदन करने की प्रक्रिया

आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनो अनिवार्य होगी:-

- **आनलाईन प्रक्रिया:-**

01. अप्रेंटिस के लिये आवेदन करने के लिये www.apprenticeship.gov.in वेबसाइट पर Establishment मीनू पर Click करें।
 02. Establishment सर्च Option पर Click करें एवं अपनी Choice के अनुसार राज्य व जिले का चयन करें Option पर Click करें जिसमें आपको प्रतिष्ठानों की जानकारी प्राप्त होगी।
 03. प्रतिष्ठान पर Click करके उस प्रतिष्ठान के ट्रेड व सीट की जानकारी प्राप्त होगी।
 04. यदि आप प्रतिष्ठान में Apprenticeship के लिये आवेदन करना चाहते हैं तो Apply Link पर Click करें।
 05. खुले हुये पॉपअप पर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, जन्मतिथि व ई-मेल आई.डी. प्रविष्टि करें एवं कैचा ईमेज में दिये गये नम्बर को टाइप करके Apply Button पर Click करें। स्क्रीन पर आपको Applied Successfully का मैसेज प्राप्त होगा।
 06. यदि आपकी Application प्रतिष्ठान स्वीकार कर लेता है तो आपके ई-मेल आई.डी. पर एक ऑफर लेटर भेजी जायेगी ऑफर Link पर आप अपना Signature Upload कर ऑफर Accept करें। प्रतिष्ठान द्वारा आपका आवेदन Approve करने पर Contract जनरेट हो जायेगा व आपकी ट्रेनिंग प्रारम्भ हो जायेगी।
- **ऑफलाइन प्रक्रिया:-**
01. आवेदक द्वारा आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरकर स्वयं उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से कार्यालय अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण), श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, दोंगालिया खण्डवा (म.प्र.) के पते पर जमा/प्रेषित करना होगा।